



स्वामी विवेकानन्द कालेज आँफ एजुकेशन, मतलबपुर, रुडकी
(हरिद्वार)

प्रसंग

विज्ञप्ति

राज्य सरकार द्वारा ; |पकमकद्ध सहायता प्राप्त उपरोक्त महाविद्यालय में समूह 'ग' पर आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:-

पद नाम	पदों की संख्या	आरक्षण श्रेणी
प्रशासनिक अधिकारी *	01	अनारक्षित
मुख्य सहायक *	01	अनारक्षित
प्रवर सहायक *	01	अनारक्षित
कनिष्ठ सहायक	01	अनारक्षित
वरिष्ठ योग्यितक सहायक *	01	अनारक्षित
सहायक लेखाकार	01	अनारक्षित
सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	01	अनारक्षित
पुस्तकालय लिपिक	01	अनारक्षित
प्रयोगशाला सहायक	10	अनारक्षित-06, अनसंचित जाति-02, अन्य पिछड़ा वर्ग-01, आधिक रूप से कमज़ोर वर्ग-01
		विषय
		पदों की संख्या
		आरक्षण श्रेणी
		रसायन विज्ञान
		01
		अनसंचित जाति
		कम्प्युटर साइंस
		01
		अनारक्षित
		ज्ञान विज्ञान
		01
		अनारक्षित / उमा
		पर्यावरण विज्ञान
		01
		अनारक्षित
		शिक्षा शास्त्र
		01
		अनारक्षित / उमा
		चित्रकला
		01
		अनसंचित जाति / उमा
		भौतिक विज्ञान
		02
		अन्य पिछड़ा वर्ग 01, अनारक्षित 01
		वनस्पति विज्ञान
		01
		अनारक्षित
		भूगोल
		01
		आधिक स्तर पर स्तर कमज़ोर वर्ग

- शासन द्वारा उक्त पदों की योग्यता निर्धारित नहीं की गई है अतः अग्रिम आदेश तक उक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया लंबित रहेगी ।

आयु सीमा राज्य सरकार के नियमानुसार ।

अर्हताएः—

१-प्रशासनिक अधिकारी – माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र०/उत्तराखण्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा या राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो और 17 वर्ष का नीत्यक लिपिक या सहायक के पद पर कार्य करन का अनुभव ।

२- मुख्य सहायक – माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र०/उत्तराखण्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा या राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो और 10 वर्ष का नीत्यक लिपिक या सहायक के पद पर कार्य करने का अनुभव ।

३- प्रबल सहायक – माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र०/उत्तराखण्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा या राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो । किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम से कम एक वर्ष का कम्प्यूटर कोस उत्तीर्ण हो । कम्प्यूटर में हिन्दी टंकण मध्यन्तम 4000 ज्ञामल कमचतमेपवद चमतीवनत की अनिवार्य गति सीमा ।

४- कनिष्ठ सहायक – माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र०/उत्तराखण्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा या राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण । कम्प्यूटर में मध्यन्तम हिन्दी टंकण मध्यन्तम 4000 ज्ञामल कमचतमेपवद चमतीवनत की अनिवार्य गति सीमा ।

५- वरिष्ठ व्यक्तिक सहायक – माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र०/उत्तराखण्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा या राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो के साथ हिन्दी आशुलेखन में मध्यन्तम गति 80 शब्द प्रति मिनट तथा कम्प्यूटर में हिन्दी टंकण मध्यन्तम 4000 ज्ञामल कमचतमेपवद चमतीवनत की गति सीमा ।

६- सहायक लेखकार – किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में लेखशास्त्र विषय सहित स्नातक उपाधि अथवा पोस्ट ग्रूएट डिप्लोमा एन एकाउन्टेंसी की अर्हता के साथ

कम्प्यूटर संचालन म केन्द्र / राज्य स्नातकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से 'आ' लेबल का प्रमाण पत्र तथा कम्प्यूटर में हिन्दी टंकण म 4000 ज्ञान समिक्षा कम्चतमेपवद चमतीवनत की गति सीमा अनिवार्य है।

7. सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष – मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर आफ लाइब्ररी साइर्स में डिग्री; ठण्टप्पइद्ध के साथ केन्द्र / राज्य स्नातकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर का एक वर्षीय डिप्लोमा/समकक्ष तथा किसी महाविद्यालय / संस्थान में पुस्तकालय लिपिक के रूप में 2 वर्ष कार्य करने का अनुभव।

8. पुस्तकालय लिपिक – माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र०/उत्तराखण्ड की इण्टरमीडिएट परीक्षा या राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो। कम्प्यूटर में हिन्दी टंकण में न्यूनतम 4000 ज्ञान समिक्षा कम्चतमेपवद चमतीवनत की अनिवार्य गति सीमा। अधिमानी अर्हता-पुस्तकालय में कार्य करने का अनुभव।

9. प्रयोगशाला सहायक – माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र०/उत्तराखण्ड की इण्टरमीडिएट परीक्षा, प्रयोगशाला से सम्बन्धित विषय के साथ या राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण। अधिमानी अर्हता-प्रयोगशाला में कार्य करने का अनुभव।

सामान्य अनुदेश

उपरोक्त पद के सम्बन्ध आवेदक अपना आवेदन पत्र महाविद्यालय की वेबसाइट ऐअबमतववताममण्पद से डाउनलोड कर उसके साथ समस्त शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रोंकी 3-3 स्वप्रमाणित छाया प्रतियां 3 रंगीन पासपोर्ट फोटो के साथ नीच दिये गये पत पर केवल स्पीड प्रेस्ट/रजिस्टर्ड डाक द्वारा पर भेज सकत है।

आवेदन भेजने का पता:

सचिव

स्वामी विवेकानन्द कालेज आफ एजुकेशन
मतलबपुर रुडकी, जनपद हरिद्वार
पिन कोड 247667

महाविद्यालय में दिनांक 11.11.2024 सायं 5:00 बजे तक प्राप्त आवेदन पत्र ही स्वीकार कियजायें।
उक्त तिथि के पश्चात काई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। आरक्षण का लाभ उत्तराखण्ड के मूल/स्थायी निवासिया के लिए ही मान्य होगा।

अन्य महत्वपूर्ण निर्देश

1. आवेदन पत्र स्वीकार किए जान की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी /अभ्यर्थिनी के पास अनिवार्य अर्हता धारित करना आवश्यक है। अन्तिम तिथि के बाद की अर्हता स्वीकार नहीं होगी।
2. आर्थिक रूप स्वरूप कमज़ार वगा के लिए आरक्षित कोई रिक्ति उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण बिना भर रह जाती है तो ऐसी रिक्ति अगले वष हेतु बैकलॉग के रूप में अग्रेन्ट नहीं की जाएगी और इसने प्रकार की रिक्ति सामान्य श्रेणी के उपयुक्त अभ्यर्थी से भरी जाएगी।

- ३- आवेदन-पत्र के डाक द्वारा विलम्ब होन अथवा गुम होन का दायित्व महाविद्यालय का नहीं होगा।
- ४- सभी मूल प्रमाण-पत्रों की छायाप्रतितियाँ एवं छायाचित्र/फोटो किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा अथवा स्वप्रमाणित कर तीन प्रतियों में आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। मूल प्रमाणपत्र साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करन हो।
- ५- साक्षात्कार की सूचना महाविद्यालय की वेबसाइट पर अथवा अलग से दी जायेगी।
- ६- केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, अशासकीय महाविद्यालय अथवा किसी अन्य संस्था/विभाग के अधीन कार्यरत अभ्यर्थी का अपन सेवा नियोजक का अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ अथवा साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- ७- नियुक्ति के समय अभ्यर्थी का एक प्रमाण पत्र कि उसक विरुद्ध काइ आपराधिक मामला लिंबित/विचाराधीन नहीं है और न ही उसे पहल कभी ऐस किसी मामले में दंडित किया गया है। प्रस्तुत करना होगा।
- ८- लिफाफ के ऊपर माट अक्षरों में आवेदित पदनाम/आरक्षण श्रेणी का उल्लेख आवश्यक करना होगा, अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।
- ९- अपेक्षित सूचनाओं से रहित अपार्ट आवेदन-पत्र तथा ऐस आवेदन-पत्र जिस पर अभ्यर्थियोंके हस्ताक्षर नहीं हैं समय रन प्राप्त होन के बावजूद निरस्त कर दिये जायेंगे।
- १०- अभ्यर्थी प्रत्येक पद के लिए पृथक-पृथक आवेदन कर सकता है।
- ११- सीधी भती हत आरक्षण उत्तराखण्ड राज्य रनरकार द्वारा जारी शासनादेश के आधार पर अनुमन्य होगा। जिसके लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र रनलग्न करना आवश्यक है।
- १२- ऐसे अभ्यर्थी पात्र नहीं होग जिनकी एक से अधिक पत्नियों जीवित हो अथवा महिला जिसन ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले रन एक पत्नी हो।
- १३- महाविद्यालय का बिना काइ कारण बताए विज्ञापन/भती प्रक्रिया का रनशोधित/पुनर्निर्धारित/ निलंबित/निरस्त करन का अधिकार है।
- १४- अभ्यर्थियों की पात्रता, उनके आवेदन की स्वीकृत या अस्वीकृत, उनके चयन/साक्षात्कार के तरीके से सम्बन्धित सभी निर्णय लेन का अन्तिम अधिकार स्वामी विवेकानन्द कालेज आफ

एजुकेशन मतलबपुर रुडकी की प्रबन्ध समिति का होगा जिसे स्वीकार करना सभी अभ्यर्थियोंके लिए बाध्यकारी होगा।

15. नियंत्रित हत चयनित अभ्यर्थियों का अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा।

अध्यक्ष/सचिव—प्रबन्धन कार्यकारिणी स्वामी
विवेकानन्द कालेज आफ एजुकेशन मतलबपुर रुडकी-247667 हरिद्वार उत्तराखण्ड